

2/8/22 फावली आज पेडा इंडे वकील प्राची
उपस्थित वकील प्राची के द्वारा न्यायालय
हाजा से कथान किया गया कि इस प्राचीना
पत्र वाकत इजराय से संबंधित मूल आवेदन
दिनांक 17/11/21 की पालना ही उकी है।

अतः इस प्राचीना पत्र को 2008 क्रियान्वित
कि कृपा कर वकील प्राची के द्वारा क्रियान्वित
विधेयन के अंतर्गत प्राचीना पत्र वाकत
इजराय को डीपी किया जासा है। फावली
के लल शुमाट होकर पत्र नम्बर से कम
होने पर परिवर्तन कजाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 2/8/22 को सुपुल
न्यायालय एवं सरे इजलास सुनाया गया।

36
जय खण्ड अधिकारी
बस्ती (जिला जयपुर)